(359)

मा0 उ[illegible] प्रकरण/महत्वपूर्ण

फैक्स नं0–0522–2287241

2287242

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश।

5वॉ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, अशोक मार्ग लखनऊ–226001

पत्र संख्या–पीआर–30–212/2011 (2153) दिनॉकः लखनऊःअप्रैल 9 ,2014

1–मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे लखनऊ।
2–मण्डल रेल प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ।

कृपया हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2011 में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 9543(एमबी)2011 (PIL) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 05/12/2013 को अपर मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे कक्ष में पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे के साथ तथा दिनांक 07/12/2013 को श्री वीरेन्द्र कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री ए0के0 लाल, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक उ0रे0 लखनऊ की संयुक्त अध्यक्षता में जीआरपी मुख्यालय में रेलवे आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवृत्ति का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यवृत्ति के निम्न बिन्दुओं पर जीआरपी एवं रेलवे के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही किये जाने की सहमति व्यक्त की गई थी।

1– वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उ0रे0 लखनऊ के पत्र दिनांक 28.01.14 द्वारा गोमती एक्सप्रेस में दो आरक्षित कोचों को हटाकर दो जनरल कोच लगाने का रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिये जाने एवं दिनांक 17.02.14 से चालू होने के संबंध में अवगत कराया गया है।

2– गोमती एक्सप्रेस के समय के आस–पास ही दूसरी ट्रेन चलाने पर रेलवे द्वारा गम्भीरता से विचार किये जाने पर सहमति दी गई थी।

3– गोमती एक्सप्रेस के सभी डिब्बों के अन्दर आरपीएफ व जीआरपी के हैल्पलाइन नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम के नम्बर अंकित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

4– ट्रेन स्कोर्ट कर्मियों हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक ही कोच में एक बर्थ आवंटित हो (उदाहरण स्वरूप एस–1 में 07 नं0) और कोच के बाहर भी जीआरपी चलित चौकी अंकित किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने का आश्वासन दिया गया था।

5– ट्रेन में चलने वाले स्टाफ ड्राइवर, गार्ड, कोच अटेन्डेन्ट का ब्रेथ एनालाइजर द्वारा मदिरा सेवन किये जाने का औचक परीक्षण कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

6– विभिन्न ट्रेनों की मुख्यतः महिला कोचों की वीडियोग्राफी एवं आकस्मिक चेकिंग पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

7– महिला कोचों में पुरूष यात्रियों के बैठने पर ट्रेन गार्ड की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने पर व्यक्त की गयी थी।

8– महिलाओं को जागरूक करने हेतु रेलवे एवं आरपीएफ द्वारा भी निर्भया कार्ड वितरित कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

9– रेलवे द्वारा एक All India Complant Number/Help line Number उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में विचाराधीन होने तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना व्यक्त की गयी थी।

10– ट्रेनों के पेन्ट्रीकार में चलने वाले वेण्डरों/एसी कोच के अटेण्डेन्टों का पुलिस वेरीफिकेशन कराये जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

11– रेलवे स्टेशनो पर आने–जाने वाले अनाधिकृत प्रवेश /निकास द्वारों एवं टूटी दीवारों के मरम्मत कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

12– संवेदनशील रेलवे स्टेशनों के आउटर सिग्नल पर हाई मास्ट लाइट लगाए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

13– ट्रेनो में स्कोर्ट कर्मियों को पर्याप्त रेल पास उपलब्ध कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अभी तक इस मुख्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से शीघ्र इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

09/4/14

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ /आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त बिन्दुओं में से जो कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित हो, कार्यवाही करते हुए संबंधित रेलवे विभाग के अधिकारियों से व्यक्तिगत अनुश्रवण कराकर अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।